न्यायालय में समक्ष सदस्य श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

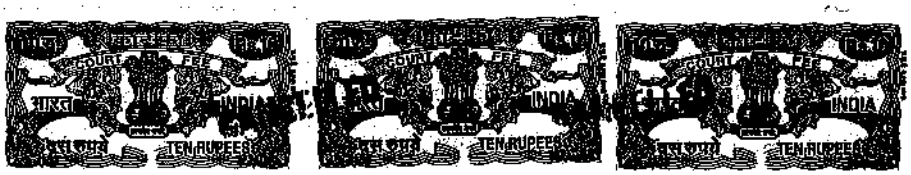

निगरानी 2525-II-15

लक्ष्मी प्रसाद उम्र 74 वर्ष आत्मज स्व. श्री गंगाराम ब्राम्हण, निवासी ग्राम करूआ, थाना तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) —— आवेदक

बनाम

1. राम प्रसाद उम्र 44 वर्ष आत्मज स्व. श्री गंगाराम ब्राम्हण, निवासी ग्राम गोहपारू, थाना तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन —— अनावेदकगण

कार्यालय कलेक्टर शहडोल(म.प्र.)
03 JUN 2015
शाखा ...... अधीक्षक कलेक्टर

निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल राजस्व प्रकरण क्रमांक 91/ अपील/ 2011–12 आदेश दिनांक 14.05.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसील वृत्त गोहपारू पुराना तहसील सोहागपुर वर्तमान तहसील गोहपारू में अनावेदक क्रमांक 01 राम प्रसाद आत्मज स्व. श्री गंगाराम ब्राम्हण ने धारा, 109, 110 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत ग्राम करूआ, पटवारी हल्का नम्बर 14, राजस्व निरीक्षक मण्डल गोहपारू, पुराना तहसील सोहागपुर, वर्तमान तहसील गोहपारू में स्थित आराजी खसरा क्रमांक 255 रकवा 0.049 हे., 371 रकवा 0.153 हे., 967 रकवा 1.339 हे., 968 रकवा 0.214 हे., 977 रकवा 0.182 हे., 978 रकवा 0.363 हे. कुल 06 किता कुल रकवा 2.300 हे. आराजी का वसीयतनामा दिनांक 13.11.1991 के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 30.03.2005 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।
2. यह कि राम प्रसाद आत्मज स्व. श्री गंगाराम ब्राम्हण ने नामान्तरण हेतु अपने आवेदन पत्र में मध्य प्रदेश शासन को पार्टी बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

------ लक्ष्मीप्रसाद / रामप्रसाद

प्रकरण कमांक निग0 2525–दो/15 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 91/अपील/2011--12 आदेश दिनांक 14–5–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। ग्रह्यता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया। । इससे प्रकट है कि नायब तहसीलदार न्यायालय में अनावेदक रामप्रसाद द्वारा वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति की । न्यायालय तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति स्वीकार करते हुए विचाराधीन भूमियों का वारिसाना नामांतरण किया जा चुका है । इस आधार पर प्रकरण सुनवाई हेतु अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से दिनांक 6–11–2007 को खारिज कर दिया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–11–2007 के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की । परन्तु बाद में अनावेदक ने विचाराधीन भूमियों के वारिसाना नामांतरण पंजी कमांक 97 दिनांक 16–3–2005 के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सुहागपुर के यहां अपील की । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय वाधित मानकार खारिज कर दिया । अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, शहडोल को द्वितीय अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त ने अपील स्वीकार करते हुए, आदेश दिनांक 14–5–2015 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–9–2011 तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं नामांतरण पंजी पर	

R 2525-II/15 अशोक

किया गया आदेश दिनांक 6–11–07 निरस्त किया तथा वसीयत की वैधता की जांच कर मृतक गंगाराम के सभी वैध वारिसों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर तहसीलदार गोहपारू को प्रकरण का निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया ।

आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक ने अपर आयुक्त न्यायालय में अपील में केवल आवेदक को पक्षकार बनाया है परन्तु गंगाराम के अन्य वारिस भी हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को समयावधि बाहर माना गया था परन्तु द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय का आदेश एवं ग्राम पंचायत का आदेश भी निरस्त कर दिया जो अवैधानिक है ।

प्रार्थी अभिभाषक के तर्क सुने । प्रकरण का अवलोकन किया इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत द्वारा किये गये वारिसाना नामांतरण में गंगाराम के सभी वैध वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया न सजरा में प्रदर्शित किया न सुनवाई का अवसर दिया । अतः अनुविभागीय अधिकारी तथा ग्राम पंचायत की नामांतरण पंजी पर किय गये आदेश निरस्त करते हुए अपर आयुक्त ने तहसीलदार गोहपारू को निर्देशित किया कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पंजीकृत वसीयत की वैध्यता की जांच मृतक गंगाराम के सभी वैध वारिसों को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें । इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार न्यायालय में आवेदक को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है । जिसमें सभी वारिसों के वैधता वसीयत की भी जांच होगी । प्रथमदृष्टया उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी का पर्याप्त आधार प्रकट नहीं होता । अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य